राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 296

प्रगति

समाचार पत्र

जनवरी 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

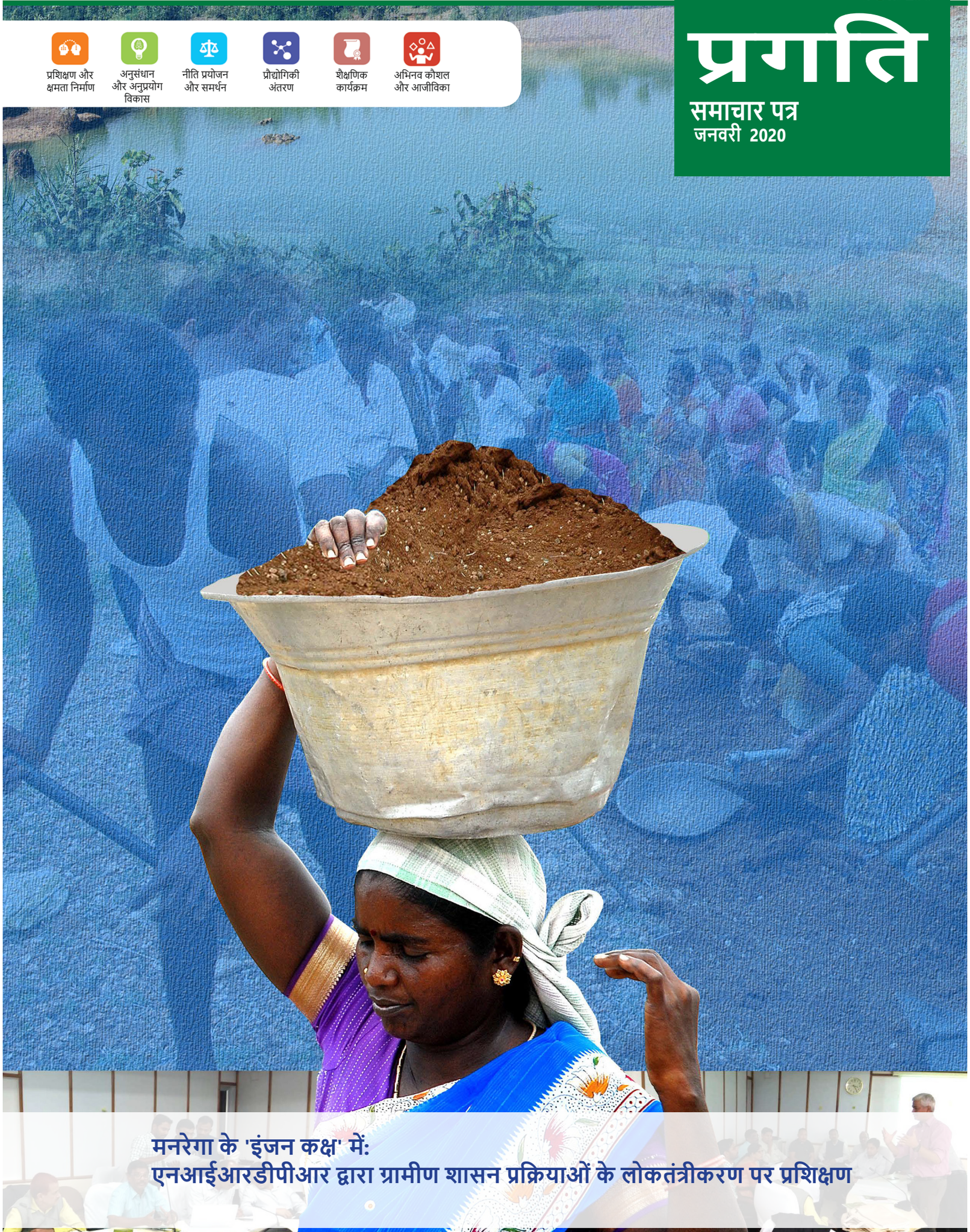

मनरेगा के 'इंजन कक्ष' में:
एनआईआरडीपीआर द्वारा ग्रामीण शासन प्रक्रियाओं के लोकतंत्रीकरण पर प्रशिक्षण

3 मनरेगा के 'इंजन कक्ष' में:
एनआईआरडीपीआर द्वारा ग्रामीण शासन प्रक्रियाओं के लोकतंत्रीकरण पर प्रशिक्षण

विषय-सूची

7
राज्य निर्वाचन आयुक्तों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन

9
एनआईआरडीपीआर में नवोन्मेषण ग्रुप का गठन -
सतत ग्रामीण विकास के लिए सृजनात्मक और नवोन्मेषण का मार्गदर्शन करना

10
डब्ल्युएएसएच के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

11
2019 बैच ग्रुप-VIII में आईएएस अधिकारी प्रशिक्षार्थियों का एनआईआरडीपीआर दौरा

12
फुटकर, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्रों में अग्रिमों का प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम

13
ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र में समकालीन नीति चुनौतियों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

14
107 वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) 2020 में एनआईआरडीपीआर का सहभाग

15
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए आईसीटी अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

16
ग्रामीण आवास और आवासीय परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

18
मामला-शिक्षण और मामला-लेखन

19
एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रम

मनरेगा के 'इंजन कक्ष' में: एनआईआरडीपीआर द्वारा ग्रामीण शासन प्रक्रियाओं के लोकतंत्रीकरण पर प्रशिक्षण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो ग्राम पंचायत विकास योजना और श्रम बजट योजना के उपयोग के साथ जमीनी स्तर (पीआरआई) पर लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करते हुए सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है । इस अधिनियम के तहत शुरू की गई योजनाओं ने ग्रामीण भारत के लाखों मज़दूरों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है । अधिनियम और अधिनियम से संबंधित दिशा-निर्देश सक्रिय हैं और तकनीकी प्रगति द्वारा सक्रिय रूप से किए गए परिवर्तनों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण भारत के अधिक पारदर्शी और विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा मिला है । हालांकि, वास्तविक कार्यान्वयन में दिशानिर्देशों का अनुपालन कम पाया गया है । प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित चिंता का समाधान करना चाहता है: इस गतिशील अधिनियम को कैसे बनाया जा सकता है ताकि इसकी पूरी क्षमता पर काम किया जा सके ताकि अधिकतम लोग इससे लाभान्वित हो सकें ।

मनरेगा ने पंचायतों को अपने स्वयं के विकास की योजना बनाने और गाँवों में प्रारंभ की जाने वाली योजनाओं की पहचान करने के लिए वैधानिक रूप से सशक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता प्रदान की है ।

मजदूरी रोजगार केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने हाल ही में 'एमजीएनआरईजीएस लेबर बजट और जीपीडीपी' पर दि. 2-6 दिसंबर, 2019 तक जीपीडीपी के परिप्रेक्ष्य और वार्षिक योजना के साथ श्रम बजट का एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया जिसका उद्देश्य अधिनियम के प्रभावी प्रसार और उच्च अधिकारियों के साथ संबंधित दिशानिर्देशों के साथ-साथ ग्रामीण विकास के जमीनी स्तर के अधिकारियों को लक्षित करना, समूह कार्य और प्रयोगशाला सत्रों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव पर प्रशिक्षण प्रदान करना हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम ने भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अधिनियम को स्वयं और इसकी स्थापना के दर्शन को एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान की ।

एमजीएनआरईजीए अधिनियम, 2005 : सामाजिक सुरक्षा का लोकतांत्रिक वितरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एमजीएनआरईजी) ने पंचायतों को अपने स्वयं के विकास की योजना बनाने और गाँव में शुरू की जाने वाली योजनाओं की पहचान करने के लिए वैधानिक रूप से करने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता प्रदान की है । इस आशय में, इसे 1993 के 73 वें संवैधानिक संशोधन के बाद पीआरआई को सशक्त बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है ।

प्रयोगशाला सत्र और समूह कार्य प्रगति पर है ।

दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक के रूप में, एमजीएनआरईजीए ने न केवल ग्रामीण बेरोजगारी की मूल समस्या का समाधान किया है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्जीवन, प्राकृतिक आवासों के पुनरुद्धार, नदियों का कायाकल्प, महिलाओं का सशक्तीकरण, स्कूली शिक्षा का सुधार, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, एसडीजी की उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ा है । वर्ष 2006 में शुरू होकर, एमजीएनआरईजीए फरवरी 2020 में इसके कार्यान्वयन के 14 साल पूरे कर लेगा । यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने, व्यक्तियों के साथ-साथ समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार की संपत्ति का सृजन, विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है ।

मनरेगा और जीपीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण शासन प्रक्रियाओं का लोकतंत्रीकरण और पंचायती राज के स्थानीय संस्थाओं का कायाकल्प रहा है । यह महसूस किया गया है कि न केवल एक योजना का परिणाम, बल्कि ग्राम विकास परियोजनाओं के संचालन की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है । विकास का लाभ ग्रामीण नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से प्रदान किया जाना है, जहां प्रत्येक नागरिक जो स्थानीय पंचायत के फैसले से प्रभावित होगा, को प्रस्तावित निर्णय पर उसकी राय को शामिल करने और पंजीकृत करने का अधिकार है । इसका स्थानीय शासन के संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक बहस की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

मनरेगा, जीपीडीपी और एसडीजी पर प्रयोगशाला सत्र

प्रयोगशाला सत्र में, प्रतिभागियों को तीन समान समूहों में विभाजित किया गया । प्रत्येक समूह को मनरेगा के तहत अनुमोदित कार्यों की सूची की एक प्रति, एसडीजी की एक प्रति और जीपीडीपी के तहत गतिविधियों की सूची की एक प्रति प्रदान की गई । पहले समूह को एक गहन चर्चा में जीपीडीपी और मनरेगा कार्यों के बीच अभिसरण और सिंक्रनाइज़ेशन के बिंदुओं का पता लगाने के लिए कहा गया ।

दूसरे समूह को अभिसरण के बिंदुओं का पता लगाने के लिए और मनरेगा एवं एसडीजी के लक्ष्यों / अनुमोदित कार्यों के बीच ओवरलैप करने के लिए कहा गया ।

तीसरे समूह को सभी तीनों के बीच अभिसरण और ओवरलैप के बिंदुओं की तलाश करने के लिए कहा गया, अर्थात् मनरेगा, जीपीडीपी और एसडीजी के तहत स्वीकृत कार्य ।

इस कार्य के साथ-साथ, प्रत्येक समूह को उन राज्यों में रोजगार की लंबी अवधि की पहचान करने के लिए भी कहा गया जिनसे समूह के सदस्य जुड़े हैं । इसके अलावा, समूह के सदस्यों को उन मुख्य कारणों की पहचान करने के लिए भी कहा गया जो कम अवधि में रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं ।

प्रत्येक समूह को जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों में मौसम की पहचान शामिल है जिसमें काम की मांग और आपूर्ति अधिकतम है, मौसम में श्रम की मांग का अनुमान लगाने के तरीके, उच्च प्रवास के महीने, आदि । ऊपर दिए गए कार्यों के साथ प्रतिभागियों की मदद करने के लिए, सीडब्ल्युई के टाइम एंड मोशन स्टडी ग्रुप द्वारा फार्म तालाब निर्माण के उदाहरण का उपयोग करके मनरेगा में श्रम की प्रत्याशित माँग की गणना पर एक सत्र भी आयोजित किया गया ।

तत्पश्चात् प्रत्येक समूह को एक प्रस्तुति की मदद से सभी प्रतिभागियों को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

अगले सत्र में, प्रत्येक समूह को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों के लिए 15-20 मिनट का समय दिया गया । मनरेगा, जीपीडीपी और एसडीजी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण प्रतिभागी के निष्कर्षों के आधार पर चर्चा से उभरा।

पहले समूह ने देखा कि जीपीडीपी के तहत 29 विषय एमजीएनआरईजीए के साथ समरूप थे, लेकिन यह लाइन विभागों के साथ नेटवर्क स्थापित करता है । इसने जीपीडीपी में राज्य सरकारों की गहन भागीदारी की आवश्यकता महसूस की, जिस पर अधिक धन और प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत थे कि गर्मियों का मौसम मंदी की अवधि थी जिसमें मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए कोई रोजगार बाजार में उपलब्ध नहीं था।

मनरेगा और एसडीजी पर काम कर रहे दूसरे समूह को मनरेगा और एसडीजी के तहत स्वीकृत कार्यों के उद्देश्यों के बीच महत्वपूर्ण अधिव्यापन प्राप्त हुआ और जलवायु कार्य तथा गरीबी और स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आदि के क्षेत्रों में एसडीजी की उपलब्धि में उनका प्रत्यक्ष और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष योगदान रहा।

उत्तर-पूर्व और तटीय क्षेत्रों के समूह के कुछ सदस्यों ने बताया कि बारिश का मौसम इन क्षेत्रों में मंदी का रहा, और कोई रोजगार उपलब्ध नहीं था। जम्मू और कश्मीर के सदस्यों ने बताया कि सर्दियों का मौसम उनके राज्य में मंदी की अवधि रही और बाजार में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं था। समूह के एक प्रतिभागी ने नवाचार का एक उदाहरण दिया जो कि एमजीएनआरईजीए कार्यों के माध्यम से आया है । इस मामले में, स्थानीय एसएचजी को नागरिक सूचना बोर्ड (सीआईबी) तैयार करने का काम दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप महिला सदस्यों की आय में वृद्धि हुई । यह सुझाव दिया गया कि एसएचजी को पीआईए के रूप में भी संलग्न किया जाना चाहिए, जिससे उसका आगे सशक्तिकरण और आय में वृद्धि होगी।

तीसरे समूह ने जीपीडीपी, एमजीएनआरईजीए के बीच अधिव्याप्ति को लक्ष्य 2, 3, 6, और 11 में एसडीजी के साथ काम करने की सूचना दी । अपनी प्रस्तुति में, समूह ने एक दूसरे के साथ सूचियों का मिलान किया और प्रासंगिक एसडीजी नंबर के साथ मनरेगा में अनुमोदित कार्यों की क्रम संख्या निर्दिष्ट की। इसमें पाया गया कि जीपीडीपी स्वास्थ्य और पोषण, कृषि विकास, जल संरक्षण, दूसरों के बीच एसडीजी 1, 2, 13 और 15 के साथ अधिव्याप्ति जैसे कार्यों की सूची है । मनरेगा के स्वीकृत कार्यों के तहत गैर-कृषि गतिविधियाँ, जैसे कि 13, 67 और 114-124, एसडी गोल्स 1 और 8 के अनुरूप थीं; मनरेगा में कार्य संख्या 186 ने एसडीजी 3 और 7 की उपलब्धि में योगदान दिया। सही मजदूरी दर की स्थापना और वैज्ञानिक तरीके से मजदूरी की गणना के वैज्ञानिक आधार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। मजदूरी का भुगतान विषयों पर काम किए गए घंटों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए या यह किए गए कार्य की माप पर आधारित होना चाहिए, या अन्य कृषि-जलवायु और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को भी एसओआर की अंतिम तैयारी में शामिल किया जाना चाहिए, आदि पर चर्चा भी की।

मनरेगा पर लैब सत्र को उन प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया जिन्होंने महसूस किया कि इसने समूह-आधारित अभ्यासों के माध्यम से अधिक से अधिक भागीदारी बनाकर अपने सीखने के अनुभव और समझ को बढ़ाया। उनके निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति तैयार करने के अगले दिन के असाइनमेंट ने सत्र के बाद भी प्रत्येक समूह के सदस्यों को अपने समूह और अन्य लोगों के बीच चर्चा में रखा।

प्रोग्राम के उद्देश्य और एमजीएनआरईजीएस श्रम बजट, जीपीडीपी और एसडीजी के बीच परस्पर संवादात्मक संबंध और सिंक्रोनाइज़ेशन पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने का अनुभव गहन प्रयोगशाला सत्र और समूह कार्य अभ्यास के कारण बढ़ाया गया।

सीडब्ल्युई के आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एमजीएनआरईजीए और जीपीडीपी पर प्रयोगशाला सत्रों की सामग्री और आयोजन को और बेहतर बनाने की योजना है । इसे धीरे-धीरे एक मानक शिक्षाशास्त्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां केंद्र के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धांतिक व्याख्यान के साथ-साथ एक अभिन्न अंग के रूप में एक परस्पर संवादात्मक प्रयोगशाला सत्र और समूह कार्य अभ्यास होगा । जीपीडीपी को एमओआरडी और एमओपीआर दोनों द्वारा ग्राम पंचायत की समग्र और एकीकृत वार्षिक कार्य योजना पर प्रभावित करने के लिए अनिवार्य किया गया है । यह भविष्य में ऐसी प्रयोगशालाओं के दायरे और आवश्यकता को और अधिक विस्तृत करता है।

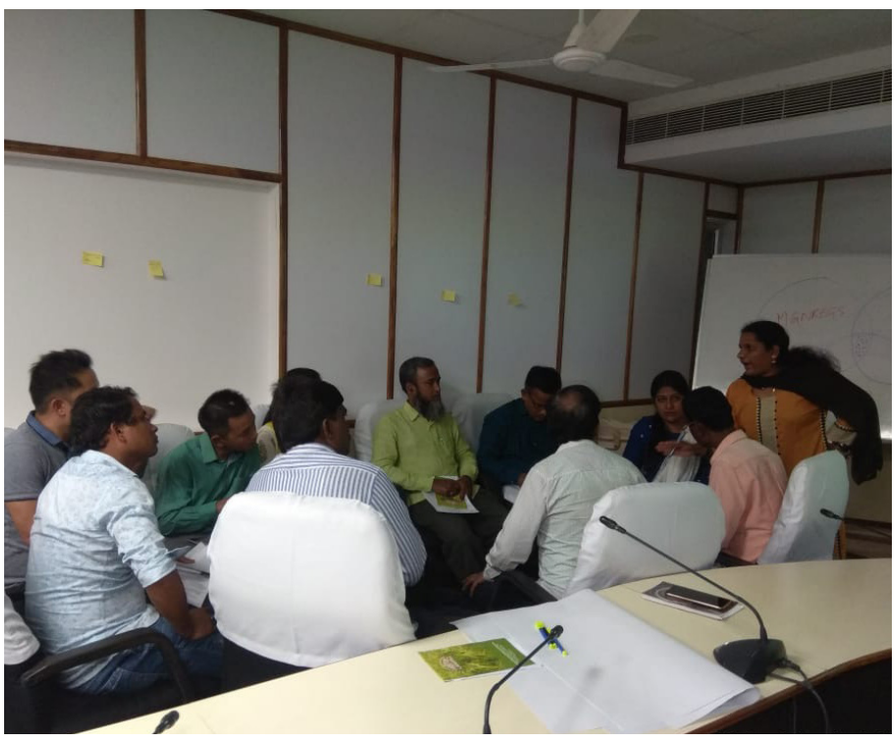

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लैब सत्र और समूह कार्य

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लैब सत्र और समूह कार्य

मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास को कार्योन्मुख करना:
अंतिम छोर से नये छोर तक

इस कार्यक्रम ने उन तरीकों की जांच करने की मांग की, जिसे एमजीएनआरईजीएस को जीपीडीपी से जोड़ा गया हैं, और कैसे प्रभावी रूप से एमजीएनआरईजीएस ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया है । इस अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के लिए मुख्य प्राधिकरण के रूप में जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर पंचायतों की पहचान करता है । जीपीडीपी वास्तव में राजनीतिक रूप से राजनीतिक दृष्टि से मजबूत लोकतांत्रिक ग्राम समाज के निर्माण में मदद कर रहा है, जहां सफल है ।

उदाहरण के लिए प्रत्याशित मात्रा और कार्य की मांग के समय के लिए भागीदारी की योजना यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यान्वयन एजेंसी ऐसे तरीके से काम करती है जो संकटग्रस्त प्रवास को पूर्ववर्ती करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में प्रवासन के पैटर्न के साथ है । भागीदारी योजना और विकेन्द्रीकृत शासन की यह प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित लोकतंत्र का आधार है । जीपीडीपी और एमजीएनआरईजीए दोनों ने पीआरआई को योजनाकारों और उनके विकासात्मक लक्ष्यों के कार्यान्वयनकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाया है, जो आरम्भ से अंतिम तक है । कार्यक्रम को संचालित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और कार्यक्रम कार्यान्वयन की पद्धति, मनरेगा और जीपीडीपी दोनों में, इसके व्यापक डिजाइन द्वारा सशक्त है । यदि एक विकासात्मक पहल पहले दिन की योजना (कार्यान्वयन के अंतिम दिन तक) से भागीदारीपूर्ण और पारदर्शी है, तो विकेंद्रीकृत स्थानीय शासन के संस्थानों को सशक्त बनाने का पहला उद्देश्य पहले से ही प्राप्त किया जाता है । अर्थात्, नागरिकों को विकास के परिणाम का अनुभव करने के लिए परियोजना के पूरा होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे इसे हर दिन अनुभव कर सकते हैं क्योंकि नियोजन सामाजिक और लोकतांत्रिक तरीके से होता है- किसी भी उपाय से विकास के दो निश्चित संकेत होते हैं ।

मनरेगा के खंड 13-16 में श्रम बजट की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो मनरेगा के तहत नियोजन, अनुमोदन और वित्त पोषण पर जोर देता है । जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) को जिले के प्रत्येक ग्राम सभा में पहले चरण से आखिरी तक अंतिम-स्तर और विकेन्द्रीकृत शासन के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है ।

मनरेगा के दोहरे लाभ, अर्थात् योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का लोकतांत्रीकरण और आजीविका बढ़ाने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण, यदि ग्रामीण विकास प्रणाली में संस्थानों और अभिनेताओं को अधिनियम में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील माना जाता है, तो यह आशा की जा सकती है । सामाजिक और उचित रूप से लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की दिशा में परियोजना प्रशासन के रोजमर्रा के कामकाज और कामकाज में अधिनियम में लागू किए गए संरचनात्मक परिवर्तनों को आत्मसात करने के लिए सैद्धांतिक और साथ ही व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।

डॉ. नीरज मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (मजदूरी रोजगार केंद्र)
ईमेल: neerajmishra.nird@gov.in

डॉ. एस. ज्योतिस
प्रोफेसर और अध्यक्ष (मजदूरी रोजगार केंद्र)
ईमेल: jyothis.nird@gov.in

कवरपेज डिजाइन: **श्री वी.जी. भट्ट**

राज्य निर्वाचन आयुक्तों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर विशेष भाषण देते हुए ।
(बाएं से दाएं) श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री ए.के. चौहान, राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार,
श्री वी. नागी रेड्डी, राज्य चुनाव आयुक्त, तेलंगाना, श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार,
डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआर.डीपीआर भी देखे जा सकते हैं

'राज्य चुनाव आयुक्तों (एसईसी)' का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी), तेलंगाना और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से 9 और 10 जनवरी 2020 को एनआईआरडीपीआर में आयोजित किया गया । संगोष्ठी का उद्देश्य स्थानीय निकायों को समयबद्ध और स्वतंत्र चुनाव कराने में राज्य चुनाव आयोगों द्वारा सामना की गई लाभ और चुनौतियों का जायजा लेना है । स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पूर्व शर्त में से एक है । सम्मेलन का उद्घाटन श्री जी किशन रेड्डी, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया । सम्मेलन में देश भर से 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । उद्घाटन भाषण में, गृह राज्य मंत्री ने महात्मा गांधी के "ग्राम स्वराज" की अवधारणा को याद किया, जो प्रत्येक गाँव को अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक छोटा सा गणराज्य और आत्मनिर्भर देखना चाहते थे । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश में स्थानीय निकाय लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताएं हैं । मंत्री ने एसईसी को पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया का पालन करके चुनाव को विश्वसनीय बनाने का आह्वान किया । उन्होंने नव निर्वाचित सरपंचों और वार्ड सदस्यों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए जम्मू और कश्मीर का समर्थन करने में एन आईआरडीपीआर की सराहना की ।

अपने स्वागत भाषण में, डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर ने 5 वर्षों में चुने गए 3.5 मिलियन निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए राज्य चुनाव आयुक्तों की सराहना की । मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तेलंगाना के श्री वी. नागी रेड्डी ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ई यह कहता है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय के चुनावों को निकाय का कार्यकाल पूरा होने से पहले पूरा करना होगा । हालांकि चुनावों का समय पर संचालन एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य आवश्यकता है, एसईसी चुनाव की तारीखों और चरणों की संख्या पर निर्णय नहीं ले सकता है । एसईसी के प्रभावी वित्त पोषण के लिए धन के साथ-साथ जनशक्ति दोनों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है । श्री वी. नागी रेड्डी ने आगे कहा कि "स्थानीय सरकारें राजनीतिक नेतृत्व का आधार हैं लेकिन कई उदाहरण हैं जहां राज्यों द्वारा एक याचिका या दूसरे पर स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए ।"

बाद में, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने कहा कि निम्न स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए, नेटवर्किंग और हितधारकों तक पहुंच आवश्यक है । इन हितधारकों का एक एकीकृत दृष्टिकोण निश्चित रूप से मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने और हमारे लोकतंत्र को गहन और समृद्ध करने के संदर्भ में लाभान्वित करेगा । सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ए के चौहान ने कहा कि एसईसी द्वारा अनुभव की जा रही प्रमुख बाधा धन और जनशक्ति हैं । उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एसईसी को आवश्यक बजट आबंटन करने का आग्रह किया ताकि वे अधिक सक्रिय हो सकें और स्थानीय निकायों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए काम कर सकें ।

दो-दिवसीय सम्मेलन में स्थानीय निकायों के चुनाव के विभिन्न उभरते मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे कि समय पर स्थानीय निकाय चुनाव, अनुसूची, आरक्षण, परिसीमन, अयोग्यता, मतदान व्यवस्था, मतदान के तरीके - जनशक्ति और धन के मामले में ईवीएम से बैलट बनाम ईवीएम, ऑनलाइन वोटिंग और एसईसी को समर्थन आदि। एसईसी और अन्य विशेषज्ञों के विचार प्राप्त करने के लिए, पैनल चर्चा में चार विषयगत क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया; स्थानीय निकाय चुनावों को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करते हुए, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य हितधारकों के साथ एसईसी द्वारा समय पर, संपर्क और डेटा साझाकरण के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करने की चुनौतियां और अवसर तथा स्थानीय निकायों के प्रभावी कामकाज के लिए चुनावों को आयोजित करने की अच्छी प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने समय पर स्थानीय निकायों और चुनाव के संचालन को मजबूत करने के लिए अपने विचार साझा किए। इसके अलावा, राज्यों से एसईसी, नागरिक समितियों के सदस्यों, विश्वविद्यालयों से चुने गए प्रतिनिधियों सहित स्त्रोत व्यक्तियों ने स्थानीय निकाय चुनावों के अनुभवों और चुनौतियों से संबंधित प्रस्तुती दी।

स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी रूप से आयोजित करने की चुनौतियों पर पैनल चर्चा के विचार-विमर्श के दौरान, श्री एस.एम. विजयानंद, पूर्व सचिव, एमओपीआर, भारत सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनावों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चुनाव जनता के लिए नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधियों को चुनने के लिए होते हैं जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की सबसे अच्छी जवाबदेही चुनावी जवाबदेही है और समाज में अलग-थलग पड़े वर्गों के लिए यह एकमात्र शक्ति है। ऐसे वैधानिक मुद्दों के अलावा, अन्य मुद्दों पर भी जनशक्ति, धन और प्रशासक की नियुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा की गई, जहां चुनाव नहीं होते हैं। राज्य चुनाव आयोग भी पर्यवेक्षकों और सुरक्षा कर्तव्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धता के संबंध में खुद को एक स्थिति में पाता है।

सम्मेलन का समापन श्री सुनील कुमार, सचिव एमओपीआर, भारत सरकार के समापन टिप्पणियों के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्तों के सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर व्यापक दिशा-निर्देशों पर चर्चा करने और उन्हें निर्धारित करने का अवसर दिया गया। उन्होंने इस विचार पर भी जोर दिया कि राज्य चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं और नागरिक संगठनों के साथ समान हितधारक हैं। दो दिवसीय सम्मेलन का समन्वयन डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक, सहायक प्रोफेसर और डॉ. सी. कतरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, पंचायती राज केंद्र, एनआरडीपीआर ने किया।

श्री किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एनआईआरडीपीआर में एसईसी सम्मेलन उद्घाटन के दौरान श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, डीडीजी, एनआईआरडीपीआर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

एनआईआरडीपीआर में नवाचार समूह का गठन: सतत ग्रामीण विकास के लिए सृजनात्मक और नवोन्मेषण का मार्गदर्शन करना

डॉ. पी. वी. लक्ष्मीपति कैटलिस्ट्स ग्रुप के अध्यक्ष प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान श्रोताओं को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद एक "विचार भंडार" है और इसकी शक्ति संकाय / वक्ताओं / समर्थन संरचना होने के नाते, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए एनआईआरडीपीआर को सतत ग्रामीण विकास में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सक्षम बनाने हेतु महत्वपूर्ण रणनीति है। यह भी एक प्रमाणित तथ्य है कि संस्थान में काम करने वाले मानव संसाधनों के रचनात्मक बुद्धि का उपयोग , उनके केंद्र / क्षेत्र परिधि के बावजूद संस्थान में योगदान के उच्च स्तर के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होगा।

सृजनात्मक मानव संसाधन के पास एक विचार हो सकता है, चाहे कोई भी छोटा या बड़ा विचार हो सकता है ऐसे विचारों को एकत्रित करने के लिए हमें एक नि: शुल्क निर्गम मंच की आवश्यकता होती है जो इस तरह के विचारों की अभिव्यक्ति को सक्षम कर सके और प्रासंगिकता, व्यवहार्यता और व्यावहारिकता के आधार पर उन्हें आगे ले जा सके।

इसलिए चयनित सदस्यों के साथ एक 'नवाचार समूह' का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जो नियमित रूप से बैठक करेंगे और प्रयोग / रोल-आउट के लिए सृजनात्मक विचारों को आगे ले जाएंगे। संस्था का कोई भी सदस्य अपने विचारों को innovations.nird@gov.in पर ई-मेल कर सकता है, जिसकी व्यवहार्यता और प्रयोग के लिए समीक्षा की जाएगी।

नवाचार समूह को औपचारिक रूप से १ जनवरी, 2020 को आरंभ किया गया । इस अवसर पर बोलने के लिए दो वक्ताओं को आमंत्रित किया गया । इनमें से पहले कैटलिस्ट ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. पी. वी. लक्ष्मीपति ने नवाचार के कैनवास पर बात की। उन्होंने पिछले 30 वर्षों में प्रमुख नवोन्मेषण जैसे क्षेत्रों को कवर किया, और कुछ उत्पादों को बड़े ग्राहक आधार के पैमाने पर ले जाने और उच्च स्तर पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

दूसरे श्री सुरेंद्र तिपाराजु, प्रधान आर्किटेक्ट लीडर, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट में एआई और नवाचार को लागू करने पर बात की । उन्होंने कॉर्पोरेट नवाचार, माइक्रोसॉफ्ट की चुनौती जैसे दृष्टिकोण, वृद्धिशील और विस्तारवादी नवाचार, नवाचार फनल, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी), नवोन्मेषण के सिद्धांत जैसे बोल्ड, आशावादी, ट्रस्ट और स्केल क्षेत्रों को कवर किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने की। इस कार्यक्रम में एनआईआरडीपीआर के अन्य संकाय और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर , डॉ. पी.वी. लक्ष्मीपति (बाएं) को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक श्री सुरेन्द्र तिपाराजू को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए।

डब्ल्युएएसएच के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

डॉ ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीजीजीपीए और सीआरयू, डब्ल्युएएसएच के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

बेहतर और स्थायी जल, स्वच्छता और सफाई (डब्ल्युएएसएच) सुविधाएं, सेवाएं और शासन मानव विकास संकेतकों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं । सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) कठिनाईयों को उजागर करने, डब्ल्युएएसएच से संबंधित निवारक और प्रचारक प्रथाओं की मांग और ग्रहण करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है ।

वैश्विक स्तर पर, हाल के वर्षों में छिटपुट जागरूकता बढ़ाने से लेकर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों तक रणनीतिक, साक्ष्य-आधारित व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) रणनीतियों में रचनात्मक बदलाव हुए है । यह बदलाव इस एहसास के साथ आया है कि व्यक्तिगत व्यवहार सामाजिक-सांस्कृतिक और जेंडर नियमों से प्रभावित होता है । नीति और संरचनात्मक मुद्दों को प्रभावित करने के लिए एकीकृत परामर्श के साथ-साथ अनुशंसित व्यवहारों के समर्थन में समुदायों को जुटाने की आवश्यकता अनिवार्य है, जिसके फलस्वरुप डब्ल्युएएसएच स्वास्थ्य संचार के लिए समग्र दृष्टिकोण में वृद्धि होगी ।

स्वच्छ भारत मिशन के लाभ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में ओडीएफ सततता के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज और यूनिसेफ की संचार संसाधन इकाइयों (सीआरयू) ने एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 9-10 जनवरी, 2020 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। । मास्टर प्रशिक्षक ओडीएफ सततता, जल प्रबंधन आदि जैसे मुद्दों पर एसबीसीसी गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की सुविधा के लिए जिला / उप-जिला स्तर पर कार्यरत रहेंगे ।

प्रक्रिया

कार्यशाला में एसबीएम (जी), शिक्षा, डब्ल्युसीडी, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के सात प्रतिनिधि जिलों के 21 प्रतिनिधि शामिल थे जैसे - आंध्र प्रदेश से विजयनगरम और विशाखापट्टणम; कर्नाटक के यादगीर और रायचूर; तेलंगाना के आसिफाबाद, भूपालपल्ली और कोत्तागुडम के प्रतिनिधि ।

प्रशिक्षण की शुरुआत डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सुशासन एवं लोक प्रशासन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर और निदेशक- सीआरयू और सुश्री सीमा कुमार, C4D विशेषज्ञ, यूनिसेफ द्वारा की गई ।

टीओटी के दौरान, यूनिसेफ के सलाहकार श्री कुलंदाई राज, श्री बी.वी. सुब्बा रेड्डी, यूनिसेफ परामर्शदाता, श्री एंथोनी रेड्डी, प्रबंधक और श्री श्रीनिवास, सीआरयू के एस बीसीसी समन्वयक ने पानी के लिए एसबीसीसी सिद्धांतों, मॉडल, एप्रोच, प्रबंधन-मुख्य व्यवहार और संभावित दृष्टिकोण; एसबीएम-जी के लिए एसबीसीसी दृष्टिकोण, मुख्य संदेश, एसबीसीसी सामग्री का अवलोकन, प्रशिक्षण, सुविधा कौशल, पारस्परिक कौशल और एक अच्छे संचारक के गुण के बारे में एसबीसीसी के प्रतिभागियों को अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए । प्रतिभागियों को भारत में लागू किए गए सफल डब्ल्यु एएसएच मॉडल पर भी जानकारी दी गई ।

प्रशिक्षण के निष्कर्षों का आकलन करने के लिए पूर्व और पश्च-परीक्षण का प्रबंध किया गया । डब्ल्युएएसएच पर प्रतिभागियों के ज्ञान का स्तर 41 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया है । दो दिवसीय प्रशिक्षण तीन राज्यों के प्रतिभागियों द्वारा चरण-वार प्रशिक्षण के लिए विभागवार योजनाओं की प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ ।

यह दो दिवसीय प्रशिक्षण एसबीसीसी सिद्धांतों और दृष्टिकोण, जल स्रोत प्रबंधन, पानी के संग्रहण और घरों, समुदायों और संस्थानों में पानी के उपयोग के लिए एसबीसीसी पर ज्ञान प्रदान करने में सफल रहा । इसके अलावा, एसबीएम-जी के लिए एसबीसीसी दृष्टिकोण और प्रशिक्षण, सुगमता और अंतर वैयक्तिक कौशल में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया ।

2019 बैच के ग्रूप – VIII के आईएएस अधिकारी प्रशिक्षार्थियों का एनआईआरडीपीआर दौरा

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षणार्थी आईएएस अधिकारी
अपने शीतकालीन अध्ययन दौरे के भाग के रूप में – एक सत्र में

अपने शीतकालीन अध्ययन दौरे के भाग के रूप में ग्रुप-VIII 2019 बैच के सोलह आईएएस अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने 18 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डीपीआर), हैदराबाद का दौरा किया । श्री राजेश कुमार हजेला, वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण), अनुसंधान, प्रशिक्षण समन्वयन एवं नेटवर्किंग केन्द्र, एनआईआरडीपीआर ने आईएएस अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया और उन्हें संक्षेप में बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं का क्षमता निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत करने निचले स्तर के अधिकारियों और प्रशिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन में गुणात्मक परिवर्तन की सुविधा, ग्राम अभिग्रहण अध्ययन और परामर्श के साथ कार्य अनुसंधान सहित अनुसंधान के लिए एनआईआरडीपीआर प्रतिबद्ध है । उन्होंने आगे कहा कि एनआईआरडीपीआर अपने प्रबंधकीय कौशल को विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रशासन में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करता है । प्रतिनिधियों के लाभ के लिए संस्थान के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों पर एक वृत्तचित्र बनाया गया ।

श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ परामर्शक, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी) ने आरटीपी, सीआईएटी पर एक प्रस्तुतीकरण दिया और बताया कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण गरीबों को उचित और सस्ती तकनीकों को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । आरटीपी में राष्ट्रीय भवन केंद्र ग्रामीण भारत में लागू विभिन्न लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ निर्मित ग्रामीण घरों को प्रदर्शित करता है । इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों, एसजीएसवाई संगठनों और अन्य संस्थानों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला हर साल आयोजित किया जाता है । उन्होंने आश्वासन दिया कि एनआईआरडीपीआर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की प्रौद्योगिकियों के प्रसार में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा । इस तरह की तकनीकों के साथ निर्मित घरों को दर्शाते हुए एक वृत्तचित्र के साथ प्रस्तुति को पूरक बनाया गया ।

डॉ. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, ग्रामीण विकास में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र, ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोग पर एक प्रस्तुति दी और बताया कि फसल की खेती की योजना बनाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग और पहचान के लिए जीआईएस और जियो-टैगिंग दोनों को लागू किया जा सकता है और भौतिक विनिर्देश और जलग्रहण क्षेत्र या गाँव के विस्तार की अवधि में पंचायतों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की निगरानी भी की जा सकती है । उन्होंने आगे कहा कि योजना और निगरानी उपकरण के रूप में जीआईएस में किसी विशेष गांव में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की पहचान करने, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं की योजना और निगरानी के लिए मौजूदा भौतिक संसाधनों का आकलन करने के लिए शीर्ष स्तर और ग्राम पंचायत स्तर दोनों के लिए एक बड़ी क्षमता है ।

प्रस्तुतियों के बाद, अधिकारियों को डॉ. लल्तिखुंमा फ्रैंकलिन, आईएएस, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन), एनआरडीपीआर के साथ बातचीत करने का अवसर दिया गया । आईएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं ने रजिस्ट्रार के साथ बातचीत की और ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से एनआईआरडीपीआर के तकनीकी हस्तक्षेपों पर अपने अनुभवों को साझा किया ।

डॉ. फ्रैंकलिन ने उनके साथ अपने क्षेत्र के अनुभवों को साझा किया और अधिकारियों को सलाह दी । सेवा के प्रारंभिक वर्षों में, जो फील्ड पोस्टिंग करते हैं, एक सिविल सेवक के लिए सीखने का कार्यकाल होता है क्योंकि यह समाज के सभी लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें इस अवधि के दौरान अपने शिक्षण का विस्तार करना चाहिए । डॉ. फ्रैंकलिन ने उन सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

बाद में, अधिकारियों ने आरटीपी का दौरा किया और उद्यमियों से प्रौद्योगिकियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके स्थानांतरण के दायरे की जानकारी ली । उन्होंने उपयोग किए गए और बेकार कागज से मधुमक्खी पालन, पत्ती की प्लेट बनाने, कागज बनाने आदि जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों की पहल और प्रशिक्षण की सराहना की तथा आंतरिक सड़कों और देश के विभिन्न हिस्सों से स्थानीय सामग्री से बने संरचनाओं में गहरी रुचि दिखाई ।

फुटकर, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्रों में उन्नत प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीएफआईई, प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए

भारत के सभी बैंक गैर-निष्पादन संपत्ति (एनपीए) के व्यापक कार्य आबंटन से जूझ रहे हैं, जैसे कि ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखना एक ऋण अधिकारी के सामने एक वास्तविक चुनौती है । हालांकि, योजनाबद्ध और संरचित तरीके से ऋण सुविधाओं की सार्थक पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करके ही ऋण संविभाग की गुणवत्ता को बनाए रखना संभव है । संपूर्ण पश्च-मंजूरी प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं, अर्थात्, अनुवर्ती, पर्यवेक्षण और निगरानी, जो अलग-अलग हैं और पारस्परिक रूप से अनन्य हैं । इन सभी का प्राथमिक उद्देश्य धन का अंत-उपयोग सुनिश्चित करना, ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखना और मंजूरी की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना है । इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने संस्थान में 20 से 24 जनवरी के दौरान फुटकर, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्रों में विकास के प्रबंधन पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में रैम क्षेत्रों के वित्तपोषण के तरीकों और साधनों पर ऋण मूल्यांकन का महत्व और इसमें शामिल जोखिम और उन जोखिमों को कम करने के उपाय पर ध्यान केंद्रित किया गया, वित्तपोषण फुटकर, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र: स्थिति और विहंगावलोकन, आरबीआई मार्गनिर्देश तथा पीएसएल, फुटकर ऋण - स्वॉट विश्लेषण, वित्तपोषण के साथ मुर्गीपालन और डेयरी प्रोजेक्ट्स, खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र में ऋण मूल्यांकन, कृषि मूल्य चेन वित्तपोषण, ग्रामीण वित्त और उद्यमशीलता, खुदरा ऋण के मूल्यांकन में चुनौतियां, एमएसएमई- ऋण जोखिम शमन - ऋण गारंटी योजनाएं, ऋण में जोखिम प्रबंधन, आईआरएसी मानदंड और एनपीए प्रबंधन ।

कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के कुल सात प्रतिभागियों ने भाग लिया । सीएफआई के इन-हाउस संकाय सदस्यों और एसबीआईआरबी से चयनित अतिथि संकाय और सेवानिवृत्त बैंकरों का एक पूल, जो वित्त पोषण फुटकर, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने कार्यक्रम में योगदान दिया ।

पीपीटी, मामला अध्ययन, वीडियो क्लिप और चर्चा, रोल प्ले (भविष्य के उपयोग के लिए प्रलेखित प्रक्रिया), व्यक्तिगत और समूह की गतिविधियों की मदद से व्याख्यान और इंटरैक्टिव सत्र जैसी विविध कार्यप्रणाली को नियोजित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवधि और प्रतिभागियों के अपेक्षाओं के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र / प्रदर्शनी दौरा, पुनर्कथन सत्रों का उपयोग किया गया ।

व्यावहारिक ज्ञान देने और प्रतिभागियों द्वारा कक्षा में सीखे गए शिक्षण को लागू करने में मदद करने के लिए निम्न क्षेत्र की यात्राओं का आयोजन किया गया ।

प्रतिभागियों ने मुर्गीपालन अनुसंधान निदेशालय (आईसीएआर), राजेंद्रनगर का दौरा किया, ताकि यह पता चल सके कि आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नई मुर्गी की नस्लों के विकास पर और ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन करने वाले किसानों को एक दिन के चूजों की आपूर्ति की जाती है । प्रतिभागियों को समझाया गया कि खेत में चयनित माता-पिता (चिकन) को कैसे देखभाल की जाती है, छोटे चूजों की देखभाल कैसे की जाती है और केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण नस्लों का विकास कैसे किया जाता है ।

मलकनूर सहकारिता ग्रामीण बैंक एवं विपणन समिति लिमिटेड, तेलंगाना में एक अन्य क्षेत्र दौरा किया गया । इस समाज की स्थापना 1956 में हुई थी, सदस्यों की वर्तमान संख्या 7,207 है, नौकरीपेशा लोग 1313 हैं और शेयर पूंजी रु. 1,631.13 लाख है । प्रतिभागियों ने सहकारी बैंक, राइस मिल, कॉटन जिनिंग मिल और वाणिज्यिक परिसर का दौरा किया, जो सभी समाज द्वारा संचालित हैं ।

प्रतिभागियों को मुलकनूर महिला सहकारी समिति डेयरी में भी ले जाया गया जो सदस्य उत्पादकों से दूध के संग्रह में लगी हुई है, दूध के प्रसंस्करण और दूध उत्पादों की तैयारी जैसे कि ठंडा और परिष्कृत दूध के पैकेट, दही, मक्खन, लस्सी, खोवा, और दुधपेडा, आदि ।

डॉ.एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीएफआईई के मार्गदर्शन में, कार्यक्रम का समन्वयन श्री जी. अंजनेयुलु, परियोजना सलाहकार, श्री चंदन कुमार, अनुसंधान सहायक, सीएफआईई, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया ।

ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र में समकालीन नीति चुनौतियों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीडब्ल्युई प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए
डॉ. पार्था प्रतीम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीएसईडी और डॉ. सुरजीत विक्रमण, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएसआर और पीपीपी एवं पीए

अनौपचारिक उद्यम एक क्षेत्र है और काफी भिन्नतायें लिए हुए है, जिसमें विनिर्माण और सेवा उद्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में फैली हुई है। यह सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है और इसलिए ग्रामीण आबादी की कमाई और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है । अनौपचारिक उद्यम क्षेत्र पर कोई भी नीति परिवर्तन का निहितार्थ निचले तबके की आबादी के कल्याण पर होंगे।

हाल ही में, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), विमुद्रीकरण, बैंकिंग लेनदेन में सुधार और व्यापार करने में आसानी से सुधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटाईजेशन जैसी नीतिगत कार्यों की एक श्रृंखला, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की कोशिश में शुरू किया गया है । चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग अनौपचारिक स्थापना के तहत काम करता है, और अपने विशाल रोजगार और आजीविका को देखते हुए, इस बात पर एक बड़ी चिंता थी कि कैसे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम इन परिवर्तनों की कल्पना और प्रतिक्रिया करेंगे। इन परिवर्तनों ने अवसरों और चुनौतियों को छोड़ दिया है । इस संदर्भ में, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और पीपल्स एक्शन (सीएसआर, पीपीपी और पीए) और उद्यमिता विकास केन्द्र (सीईडी) ने संयुक्त रूप से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य हाल के नीतिगत बदलाव के बारे में प्रतिभागियों को समझाना था जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निहितार्थ हैं। इसने प्रतिभागियों को रणनीतियों, का मुकाबला करने विकल्पों से परिचित करने का भी प्रयास किया, जो कि इन उद्यमों को लाभ पहुंचाने और उनकी आजीविका और भलाई में सुधार करने के लिए अनुकूल बनाये जा सकते हैं। इसके अलावा, इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार सृजन के प्रति विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा की।

समृद्ध और लंबे अनुभव वाले कुल 28 प्रतिभागियों ने 11 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लिया। वे एसआईआरडी, एसआरएलएम, आरएसईटीआई, ईटीसी, शैक्षणिक संस्थान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राज्य कौशल मिशन, गैर सरकारी संगठन, सीएसआर सहयोगी आदि जैसे संगठनों की एक विविध श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

डॉ. एस. ज्योतिस, प्रोफेसर और अध्यक्ष, मजदूरी रोजगार केन्द्र (सीडब्ल्युई), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, डॉ. ज्योतिस ने संक्षेप में उन प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की, जो ग्रामीण भारत महसूस रहा है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान संदर्भ में कितने पुराने लाभदायक विकास सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक हैं और इन सिद्धांतों को नए साक्ष्य के साथ फिर से प्रस्तुत करना होगा। किसी भी नीति को डिजाइन करते समय इन विकास सिद्धांतों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) की भूमिका और क्षमता पर चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि वर्तमान में नरेगा में व्यस्त कुशल व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और इन समूहों के लिए कुछ प्रकार के स्व-रोजगार और उद्यमशीलता उद्यम का पता लगाया जाना चाहिए। प्रो. ज्योतिस ने ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों के बारे में आगाह किया । उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी प्रकृति आधारित समाधान का आग्रह किया।

उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात् विभिन्न तकनीकी सत्रों की शुरुआत की गई । इन सत्रों में शामिल विषयों में ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र के लिए समकालीन चुनौतियां, अनौपचारिक क्षेत्र के वैचारिक और निश्चित मुद्दे, जीएसटी और विमुद्रीकरण शामिल थे। औपचारिकता के विभिन्न कार्य जैसे कि वित्त, कौशल, प्रौद्योगिकी पर अधिक समय तक चर्चा की गई। औपचारिकता प्रक्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, परामर्श और सलाह की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अन्य सत्रों में सामूहिक भूमिका, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, एफपीओ, लिंग और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए इसके निहितार्थ शामिल है। सभी व्यापक क्षेत्रों, यानी कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में उद्यमिता विकास की संभावना पर चर्चा की गई।

प्रतिभागियों को एक कृषि-उद्यमी के साथ बातचीत करने का भी मौका मिला, जो छोटे और सीमांत किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं और उनकी कमाई में सुधार करने में मदद कर रहे हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम ने एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) के प्रौद्योगिकी साझेदारों जैसे कि गृह आधारित उत्पादों, शहद प्रसंस्करण, मशरूम की खेती, पतों की प्लेट बनाने, सुगंधित पौधों और आवश्यक तेलों, सोया बनाने की उद्यमशीलता गतिविधियों, सौर उत्पाद, जैव कीटनाशक, नीम आधारित उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज, वर्मीकम्पोस्ट, बायोगैस, मिट्टी ब्लॉक / ईंट बनाने / टाईल्स, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापॉनिक्स, टाइल बनाने और मिट्टी प्रसंस्करण, आदि पर विस्तृत समझ की सुविधा प्रदान की। कक्षा सत्रों के अलावा, प्रतिभागियों को व्यक्तिगत और समूह कार्य भी सौंपे गए।

आरटीपी का दौरा उपयुक्त रूप से 'टीहब', हैदराबाद का एक और दौरा है, जो स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। 'टीहब' में, प्रतिभागियों को स्टार्ट-अप के विभिन्न पहलुओं के बारे में पता चला और एक उभरते उद्यमी के साथ बातचीत भी की, जो फिनटेक उत्पाद पर काम कर रहा है। यद्यपि 'टीहब' मुख्य रूप से टेक स्पेस पर केंद्रित है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि 'टीहब' किस तरह से काम कर रहा है और हम ग्रामीण स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए इससे कैसे सबक ले सकते हैं। 'टीहब' इच्छुक उद्यमियों को वित्त, इन्क्यूबेशन, हैंडहोल्डिंग और नेटवर्किंग इत्यादि सभी प्रकार के समर्थन की सुविधा प्रदान कर रहा है।

समापन सत्र की अध्यक्षता, आरटीपी, एनआईआरडीपीआर के वरिष्ठ सलाहकार, श्री मोहम्मद खान ने की। उन्होंने न केवल प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, बल्कि उनसे भविष्य के कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अपने अनुभवों को साझा करने का भी अनुरोध किया। ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रतिभागियों से विस्तृत प्रतिक्रिया ली गई।

प्रतिभागियों और बाहरी स्त्रोत व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त कार्यक्रम सभी मामलों में संतोषजनक था और कार्यक्रम में परिभाषित उद्देश्यों और लक्ष्यों को विधिवत महसूस किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. सुरजीत विक्रमण, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएसआर, पीपीपी और पीए और डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडी, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर ने किया 107 वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) 2020 में सहभाग

107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एनआईआरडीपीआर स्टाल पर आगंतुक

107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) का आयोजन 3-जनवरी, 2020 से कर्नाटक के बेंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन 3 जनवरी, 2020 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस वर्ष के विज्ञान सम्मेलन का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी: ग्रामीण विकास था। उद्घाटन के दौरान, पीएम मोदी ने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का नक्शा (आई-एसटीईएम) पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल शोधकर्ताओं के लिए विशिष्ट प्रकार की सुविधाओं का पता लगाने और सहयोग करने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा, जिनके लिए उन्हें भारत में अनुसंधान और विकास कार्य करने की आवश्यकता है।

107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) का आयोजन 3-जनवरी, 2020 से कर्नाटक के बेंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में किया गया। इस वर्ष, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण विकास पर विशेष बल था। उसी को बढ़ावा देने के लिए, पहली बार, कांग्रेस ने बाल और महिला विज्ञान कांग्रेस नामक एक उप-कार्यक्रम भी शामिल किया।

डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय - भारत सरकार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया: प्रो. रंगप्पा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के महासचिव प्रो. एस राजेंद्र प्रसाद, कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर और अध्यक्ष, 107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित हुए।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने इस आयोजन में भाग लिया और ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की प्रौद्योगिकियों, गतिविधियों और प्रकाशनों का प्रदर्शन किया, जिसे नवाचार और उपयुक्त तकनीकी केंद्र, ग्रामीण विकास में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोगों और प्रलेखन और संचार विकास केंद्र के तहत दर्शाया गया । इस पांच दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान, छात्रों, कॉलेज के स्नातकों, वैज्ञानिकों / प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वानों और अन्य प्रतिनिधियों ने एनआईआरडीपीआर स्टाल का दौरा किया और उपयुक्त आवासीय प्रौद्योगिकियों, संपीड़ित स्थिर ब्लॉक (सीएसईबी), अथंगुडी टाइल्स, वर्मीकम्पोस्ट / वर्मीवाश, रसोई में गहरी दिलचस्पी दिखाई। अपशिष्ट डी कंपोजर एन आईआरडीपीआर स्टॉल में दिखाए गए। डीडीयू-जीकेवाई के ग्रामीण और प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम में जीआईएस के आवेदन ने भी कई आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया । कई प्रसिद्ध संस्थानों और सीएसआर संगठनों ने आरटीपी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन की सराहना की और सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की । इसके अलावा, कुछ इंजीनियरिंग और वास्तुकला स्नातकों ने आरटीपी-एनआईआरडीपीआर के इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए दाखिला लिया।

प्रदर्शनी के समापन पर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के महाअध्यक्ष प्रो. रंगप्पा ने एन आईआरडीपीआर कार्यों की सराहना की और स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण पत्र वितरित किए ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए आईसीटी अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. समीर गोस्वामी, प्रमुख, सीआईसीटी और श्री जी. वी. सत्यनारायण, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सीआईसीटी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने एनआईआरडीपीआर हैदराबाद में 20 -24 जनवरी, 2020 के दौरान आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुप्रयोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

कुल 48 अधिकारियों (10 महिलाओं सहित) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, उनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जिला परिषद / जिला पंचायत (ज़ेडपी), जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) , राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी), ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), समाज कल्याण, कृषि, महिला विकास, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम डब्ल्युडीटी / मृदा, वन, पर्यावरण और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

15 राज्यों, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड से उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ज़ेडपी / डीआरडीए, ग्रामीण आवास एसआईआरडी / ईटीसी और लाइन विभागों के अधिकारियों को आईसीटी और उसके अनुप्रयोगों, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, निगरानी और मूल्यांकन, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए परियोजना प्रबंधन और सूचना पद्धतियो के विकास में कौशल प्रदान करने के प्रति संवेदनशील बनाना है।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए आईसीटी का आवेदन जैसे नागरिक केंद्रित सेवाओं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पीएमएवाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूचना से संबंधित विषयों के अलावा, पीएमएवाई सूचना पद्धति विकास, भू-संसूचना विज्ञान, पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस), ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति) आईईसी, परियोजना प्रबंधन और ग्रामीण आवास में नवीन तकनीकों पर कार्यक्रम के भाग के रूप में चर्चा की गई।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए, जैसा कि आईसीटी सर्वव्यापी हो गया है, कार्यक्रम के दौरान विभिन्न एहतियाती उपायों पर इनपुट और खतरों पर काबू पाने के लिए सुझाव भी दिए गए।

प्रतिभागियों को ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) का दौरा करने का अवसर भी दिया गया और उन्हें आजीविका उत्पादन गतिविधियों के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यों के प्रदर्शन के साथ ग्रामीण आवास में नवीन और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों पर जानकारी दी गई।

श्री समीर गोस्वामी, अध्यक्ष, सीआईसीटी ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और आईसीटी प्रवृत्तियों और अनुप्रयोगों पर संबोधित किया। प्रो. ज्ञानमुद्रा, अध्यक्ष, सीजीजी और पीए ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अपने कौशल को बढ़ाने के नुस्खे दिए।

सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सत्रों को जीवंत बना दिया। इस कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की गई और प्रतिभागियों ने यह अवसर देने के लिए एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी का आभार व्यक्त किया और सुझाव दिया कि सीआईसीटी, एनआरडीपीआर द्वारा इस तरह के कई कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता है।

कार्यक्रम का संचालन श्री जी. वी. सत्यनारायण, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी), एनआईआरडीपीआर ने किया।

ग्रामीण आवास और आवास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीआईएटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

"ग्रामीण आवास और आवास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन" आईटीईसी के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 जनवरी से 03 फरवरी, 2020 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज हैदराबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आवास और योजना विभागों के साथ काम करने वाले वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। 13 देशों के कुल 22 प्रतिभागियों ने, अफगानिस्तान, बोत्सवाना, डोमिनिकन गणराज्य, केन्या, मॉरीशस, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, दक्षिण सूडान, सूडान, ट्यूनीशिया और जाम्बिया आदि ने पाठ्यक्रम में भाग लिया। कई प्रतिभागी ऐसे देशों से उपस्थित थे जिन्होंने ग्रामीण विकास पर विशेष जोर नहीं दिया, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों के आवास पर इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के साथ देश-विशिष्ट ग्रामीण आवास और आवास विकास नीतियों और अन्य अच्छी प्रथाओं को साझा करना था। पाठ्यक्रम में भारत में नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर ज्ञान साझा करने पर जोर दिया गया। पाठ्यक्रम के दौरान पहलू जैसे आवास प्रौद्योगिकियों जैसे कि लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा-कुशल और आपदा-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा, कवर किए गए विषयों में प्रधान मंत्री आवास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री आवास योजना) शामिल है, जिसमें ग्रामीण गरीब और बेघर लोगों को उनके घरों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी, और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार जिसमें पानी रहित मूत्रालय, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली और ट्विन पिट जुड़वां गड्ढे शौचालय शामिल हैं। प्रतिनिधियों ने वर्षा जल संचयन, महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आवास वित्त और डिजिटल प्लेटफॉर्म आवास ऐप और मनरेगा के माध्यम से आवास कार्यक्रम की निगरानी के बारे में भी जानकारी हासिल की।

अंत में, प्रतिभागियों को कार्यक्रम से सीखे गए पाठों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के साथ-साथ अन्य देशों की शिक्षाओं के आधार पर बैक-होम कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। अपनाई गई प्रशिक्षण विधियों में सहभागी दृष्टिकोण, क्लासरूम व्याख्यान, अध्ययन दौरे, क्षेत्र दौरे, कार्यशालाएँ, वीडियो प्रस्तुतियाँ, वाद-विवाद परिचर्चाएँ, भूमिकाएँ और सीएसई ब्लॉक बनाने, अथंगुडी टाइलों और विभिन्न टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक अनुभव शामिल हैं।

प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए श्री फ्रैंकलिन लल्तिखुंमा, आईएएस, रजिस्ट्रार, एनआईआरडीपीआर ओर इनके साथ श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआईएटी तथा डॉ. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई भी उपस्थित है

कुछ प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया

अंत में, प्रतिभागियों को कार्यक्रम से सीखे गए पाठों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के साथ-साथ अन्य देशों की शिक्षाओं के आधार पर बैक-होम कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। अपनाई गई प्रशिक्षण विधियों में सहभागी दृष्टिकोण, क्लासरूम व्याख्यान, अध्ययन दौरे, क्षेत्र दौरे, कार्यशालाएँ, वीडियो प्रस्तुतियाँ, वाद-विवाद परिचर्चाएँ, भूमिकाएँ और सीएसई ब्लॉक बनाने, अथंगुडी टाइलों और विभिन्न टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक अनुभव शामिल हैं।

श्री जॉर्ज ओमोंडी ओटीनो

"ग्रामीण आवास और आवास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन" आईटीईसी के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 जनवरी से 03 फरवरी, 2020 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज हैदराबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आवास और योजना विभागों के साथ काम करने वाले वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। 13 देशों के कुल 22 प्रतिभागियों ने, अफगानिस्तान, बोत्सवाना, डोमिनिकन गणराज्य, केन्या, मॉरीशस, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, दक्षिण सूडान, सूडान, ट्यूनीशिया और जाम्बिया आदि ने पाठ्यक्रम में भाग लिया। कई प्रतिभागी ऐसे देशों से उपस्थित थे जिन्होंने ग्रामीण विकास पर विशेष जोर नहीं दिया, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों के आवास पर इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के साथ देश-विशिष्ट ग्रामीण आवास और आवास विकास नीतियों और अन्य अच्छी प्रथाओं को साझा करना था। पाठ्यक्रम में भारत में नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर ज्ञान साझा करने पर जोर दिया गया। पाठ्यक्रम के दौरान पहलू जैसे आवास प्रौद्योगिकियों जैसे कि लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा-कुशल और आपदा-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा, कवर किए गए विषयों में प्रधान मंत्री आवास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री आवास योजना) शामिल है, जिसमें ग्रामीण गरीब और बेघर लोगों को उनके घरों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी, और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार जिसमें पानी रहित मूत्रालय, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली और ट्विन पिट जुड़वां गड्ढे शौचालय शामिल हैं। प्रतिनिधियों ने वर्षा जल संचयन, महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आवास वित्त और डिजिटल प्लेटफॉर्म आवास ऐप और मनरेगा के माध्यम से आवास कार्यक्रम की निगरानी के बारे में भी जानकारी हासिल की।

सुश्री शीला कालिंदा चबलेंगुला

टाउन क्लर्क, मज़बुका नगरपालिका परिषद, ज़ाम्बिया सरकार ने कहा "प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहल और डिजाइन को सराहनीय बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह विकासशील देशों की एक विस्तृत श्रृंखला को साकार करता है जो राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह किए बिना समान चुनौतियों को साझा करते हैं। पाठ्यक्रम ने ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया क्योंकि यह बहुत ही सहभागीपूर्ण है।"

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि "किफायती ग्रामीण आवास की डिलीवरी के लिए विशिष्ट नीतियों को विकसित करना और संरेखित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही स्थायी वास्तुकला और एकीकृत योजना को मुख्यधारा से जोडना भी महत्वपूर्ण है। आवास में पारिस्थितिक, आर्थिक और प्रदर्शन पहलुओं को लागू करने के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। यह पर्यावरण संरक्षण, लागत को कम करने, कम ऊर्जा और सामग्रियों का उपयोग करने के लिए जागरूक करता है, लेकिन कार्यात्मक और जीवंत इमारतों का एहसास कराता है। उपलब्ध स्थानीय सामग्रियों का पता लगाना और उनका उपयोग करना आवश्यक है। टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए, पाठ्यक्रम ने आधुनिक और पारंपरिक निर्माण को कैसे जोडा जाए, इस पर कौशल विकसित किया है। मिट्टी, लकड़ी के दरवाजे और खिड़की के फ्रेम, बांस की छत, टेबल और दरवाजे का उपयोग करके ब्लॉकों को कैसे ढालना है, इस पर कौशल; प्रकाश व्यवस्था, सपाट ब्लॉक की छतें, पत्थर की दीवारें, हस्तनिर्मित टाइलें, आदि सीखी गईं।

मामला अध्ययन एवं मामला लेखन

Picture credits: Pexels

सुश्री सरिता कुछ दवाईयां खरीदने मेडिकल स्टोर पर गईं। दवा के लिए नकद भुगतान करते समय, मेडिकल स्टोर के विक्रेता ने उसे बताया कि अगर उसे बिल की जरूरत है तो कर के साथ कीमत रु. 240; और अगर उन्हें बिल नहीं चाहिए तो बिना बिलिंग के वे 200 रुपये में दे सकता है। सरिता ने 200 रुपये में खरीदने का सोचा वैसे भी, मैं कहीं भी इस बिल से कोई दावा नहीं करने जा रही हूँ, वह मुस्कुराई। घर लौटने के बाद, उसने देखा कि छह महीने पहले दवा की तारीख समाप्त हो गई थी। आगे, उसने यह भी देखा कि लेबल पर लिखा था: 'फिजिशियन का नमूना है बिक्री के लिए नहीं' वह दवा को मेडिकल स्टोर्स में वापस ले गई, और अपने पैसे वापस मांगे। मेडिकल स्टोर के मालिक ने सबूत के तौर पर बिल मांगा कि यह उसकी दुकान से ही खरीदा गया था। उसने कहा कि उसे बिल नहीं दिया गया। मेडिकल स्टोर के मालिक ने कहा कि वह कभी भी बिना बिल के कुछ नहीं बेचता है। सरिता आग बबूला हो गई और मेडिकल स्टोर के मालिक से बोली कि नैतिकता और सदाचार के बिना व्यवसाय लंबा नहीं चलेगा।

गलती किसकी है? कौन अनैतिक कर रहा है?
यहां, इस घटना को व्यावसायिक मामले के रूप में देखा गया है। मामला शिक्षण एक भागीदारी प्रशिक्षण विधियों में से एक है। किसी भी घटना को विश्लेषण के लिए एक मामले के रूप में लिखा जा सकता है। डिजाइन द्वारा केस-लर्निंग भागीदारी के रूप में सामने आता है। लेकिन, एक प्रशिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों से मामलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होती है और आवरण की बारीकियों से परिचित होना चाहिए। जब भी हम क्षेत्र का दौरा करते हैं तो हम ऐसी घटनाओं को पकड़ सकते हैं जो संभावित मामले हैं, तकनीकी रूप से इन्हें 'मामला-संभावना अंक' कहा जाता है। हम एनआईआरडीपीआर के लिए 'व्यक्तिगत मामला-संभावना बैंक' या 'संस्थागत मामला संभावना बिंदु' बना सकते हैं। इसे आवश्यक जानकारी जोड़ते हुए, क्लासरूम स्थितियों में उपयोग के लिए पूर्ण मामलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। किसी भी मामले अंतर्निहित पहेली का हल उसमें ही निहित है, जो शिक्षार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाती है और उन्हें अपने दिमाग से काम करने के लिए मजबूर करती है।

कुछ सत्रों को मामला विधि के माध्यम से सबसे अच्छा किया जा सकता है। हम प्रतिभागियों को छोटे समूहों और वर्तमान में मामलों का विश्लेषण करने के लिए कह सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि क्षेत्र से कुछ 'घटना' को प्राप्त करना है ताकि एक मामले के रूप में उस घटना को लिख सकें।

मामले में परिदृश्य शिक्षार्थियों को एक बीडीओ, या जिला कलेक्टर, या एक प्रगतिशील किसान या एक उद्यमी के रूप में स्वयं को ग्रहण करने की मांग करता है और उस भूमिका को निभाता है। यह पूरी तरह से उस भूमिका को ग्रहण करना और उस भूमिका को निभाना है। यह उस निर्णय के समर्थन में आपके बचाव द्वारा समर्थित निर्णय (जिसे शैक्षिक रूप से निर्णय-पत्र कहा जाता है) को समझने, निदान करने और बाहर आने का अवसर देता है।

इस प्रक्रिया में, शिक्षार्थियों को अवधारणाओं, संगणना और आवश्यक रूपरेखाओं को समझना आवश्यक है। यह उन्हें केएएसएच-रिच (ज्ञान, मनोवृत्ति, कौशल और स्वभाव में समृद्ध) होने में मदद करता है। केएएसएच के संदर्भ में कमी की पहचान करना, और कमी को – स्वयं के प्रयास से सीखने द्वारा कम करना - एक महत्वपूर्ण योगदान मामला-लर्निंग प्रदान कर सकता है।

मामला पाठ-आधारित, या संख्या-उन्मुख, या दोनों हो सकता है। शिक्षार्थियों के लिए रुचि जगाने के लिए, मामला वास्तविक जीवन के अनुभवों से आना होता है, जैसा कि इस निबंध की शुरुआत में दिया गया था । सोच को भड़काने के लिए, और शिक्षार्थियों को मामले में संलग्न और तल्लीन रखने के लिए, मामले में मुख्य चरित्र को तीव्र प्रकृति की वास्तविक दुविधा में होना चाहिए। यह एक संगठनात्मक नीति परिवर्तन, एक निर्णय के आर्थिक परिणाम, नए कानून, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सदाचार और उनके लिए सामाजिक प्रतिक्रिया से संबंधित हो सकता है। मुख्य चरित्र को एक हैरान करने वाली पहेली की कुंजी खोजना है - और अंत में उस पहेली को हल करना है।

परिदृश्य-निर्णय परिदृश्य, समस्या निदान परिदृश्य या मूल्यांकन परिदृश्य हो सकता है। हमें इससे परिचित होना चाहिए: किसी मामले को कैसे पढ़ें? मामले का विश्लेषण कैसे करे? निर्णय पत्र कैसे तैयार करें? प्रशिक्षक रणनीति शीट कैसे तैयार करें? जब हम लिखते हैं, तो किसी मामले के शुरुआती पैराग्राफ को कैसे शब्द दिया जाए। मामला-लर्निंग वास्तविक सीख में प्रतिभागियों को शामिल करने का एक शानदार तरीका हो सकता है।

डॉ.आर. रमेश
एसोसिएट प्रोफेसर
ग्रामीण आधारभूत संरचना केंद्र

एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रम

नव वर्ष समारोह

एनआईआरडीपीआर परिसर में सिल्वर जुबली पार्क में नए साल के मिलन के दौरान वर्ष 2020 के लिए कैलेंडर और डायरी का लोकार्पण करते हुए डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, श्री शशि भूषण, वि.स और वि.प्र. और डॉ. यू. हेमंत कुमार, सहा.रजिस्ट्रार (टी)

सिल्वर जुबली पार्क में नए साल के मेल-मिलाप के दौरान कर्मचारियों, छात्रों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

71 वां गणतंत्र दिवस समारोह

भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के छात्रों द्वारा मार्च पास्ट

श्रीमती. राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर प्रतियोगिता विजेता को पुरस्कार देते हुए

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और उनके साथ श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर संस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थापित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का शुभारंभ करते हुए

DETAILS	POST GRADUATE DIPLOMA IN RURAL DEVELOPMENT (ONE YEAR FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME) MANAGEMENT (PGDRDM) 2020-21 BATCH-18)	POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT - RURAL MANAGEMENT (PGDM-RM) 2020-22 BATCH-3 APPROVED BY AICTE (TWO YEARS FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME)
HOW TO APPLY:	Applications are to be submitted online only at www.nirdpr.org.in/pgdrdm.aspx.	
RESERVATION:	Reservations for the students of the SC/ST/OBC(Non-creamy layer) EWS and Personswith Disability (PWD) will be made as per the Government of India norms.	
LAST DATE :	**Last date for online submission is 10-04-2020. Applications received after the last date shall not be accepted.**	
ELIGIBILITY	•Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equiva lent in Graduation. •Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) Selection of candi-dates will be made through a process of All-India Entrance Test which will test the verbal, quanti-tative and analytical competencies of the students including English Language • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply. **ENTRANCE TEST:** The entrance test will be conducted at Bhopal, Bhubaneswar, Chennai,Guwhati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Patna, Pune and Thiruvanantapuram. However, NIRDPR reserves the right to cancel any of the centres or add new centres for any administrative reasons and assign any other centretothe applicants.	• Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equivalent in Graduation. • Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply.
Mode of Selection	Apart from eligibility conditions group discussion and personal interviews will be conducted for the short-listed candidates at NIRDPR, Hyderabad.	
Course Fee	Rs.1,80,000/- per annum	
Encouragement/ Scholarship	The North Eastern Council, Shillong, will be approached for giving fellowships to economically backward students of North Eastern States. During the course, based on the performance trimes-ter-wise (more than 8 GPA) of the students, fee concessions will be provided in the subsequent next trimester as a matter of encouragement.	
For Details log on to	Web: http://www.nirdpr.org.in/ pgdrdm.asp Phone No.: 91-040-24008460, 442; 556	

Admission Notification for Distance Mode Courses

1. Post Graduate Diploma in Sustainable Rural Development (PGDSRD) Twelfth Batch (2020-21)
2. Post Graduate Diploma in Tribal Development Management (PGDTDM) Ninth Batch (2020-21)
3. Post Graduate Diploma in Geo-Spatial Technology Applications in Rural Development (PGDGARD) Fifth Batch (2020-21)
4. Diploma Programme on Panchayati Raj Governance & Rural Development (DP-PRGRD) Second Batch (2020)

Applications from aspiring candidates are invited for admission into above Distance Mode Courses commencing from 1st January, 2020. The minimum educational qualification for admission is Graduation in any discipline from UGC recognized Universities. Please visit our Website www.nird.org.in/dec.aspx for further details and to submit online application. The last date for receipt of filled-in applications is 31st December, 2019. For further queries, you may contact us through website.

Sd/
Prof. & Head (CPGS&DE)

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन